إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ. فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ.

(سورة التوبة 60)

ज़कात और सदक़ात के बारे में गाइडेंस

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी

www.najeebqasmi.com

ज़कात और सदक़ात के बारे में गाइडेंस
Guidance Regarding Zakat & Sadaqaat

By

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी

Dr. Mohammad Najeeb Qasmi

http://www.najeebqasmi.com/
najeebqasmi@gmail.com
MNajeeb Qasmi - Facebook
Najeeb Qasmi - YouTube
Whatsapp: 00966508237446

पहला हिंदी संस्करण: मार्च 2016

Address for Gratis Distribution मुफ़्त मिलने का पताः
Dr. Mohammad Mujeeb, Deepa Sarai, Sambhal, UP (2044302) India
डा॰ मोहम्मद मुजीब, दीपा सराय, सभंल, यूपी, इण्डिया (244302)

विषय-सूची

.	विषय	पेज नं

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِيْن،وَالصَّلاۃ وَالسَّلامُ عَلَی النَّبِیِّ الْكَرِيم وَعَلیٰ آله وَاَصْحَابه اَجْمَعِيْن۔

प्रस्तावना

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ आखरी नबी हैं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत अंतरराष्ट्रीय भी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बिला कुरैश या अरबों के लिए नहीं बल्कि पुरी दुनिया के लिए, इसी तरह सिर्फ उस ज़माना के लिए नहीं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए बल्कि क़ियामत तक आने वाले तमाम इंसान व जिन्नात के लिए नबी व रसूल बना कर भेजे गए। कुरान व हदीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा खास कर उलमा-ए-दीन की ज़िम्मेदारी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दीने इस्लाम की हिफाज़त करके कुरान व हदीस के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाऐं। चूनांचे उलमा-ए-कराम ने अपने अपने ज़माने में मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से इस ज़िम्मेदारी को अंजाम दिया। उलमा-ए-कराम की कुरान व हदीस की खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता है और इंशा अल्लाह उलमा-ए-कराम की इल्मी खिदमात से कल क़ियामत तक इस्तिफादा किया जाता रहेगा। अब नई टेक्नोलॉजी (वेबसाइट, वाटस ऐप, मोबाइल ऐप, फेसबुक और यूट्यब वगैरह) को दीने इस्लाम की खिदमात के लिए उलमा-ए-कराम ने इस्तेमाल करना शुरू तो कर दिया है मगर इसमें मज़ीद काम करने की सख्त ज़रूरत है।

अलहमदु लिल्लाह बाज़ दोस्तों की टेक्निकल समर्थन और बाज़ मुहसिनीन के माली योगदान से हमने भी दीने इस्लाम की खिदमात के लिए नई टेक्नोलॉजी के मैदान में घोड़े दौड़ा दिए हैं ताकि इस

अंतरिक्ष (जगह) को एसी ताक़तें पुख्ता न कर दें जो इस्लाम और मुस्लमानों के लिए नुक़सानदेह साबित हों। चूनांचे 2013 में वेबसाइट (www.najeebqasmi.com) लांच की गई, 2015 में तीन ज़बानों में दुनिया की पहली मोबाइल ऐप (**Deen-e-Islam**) और फिर दोस्तों के तक़ाजा पर हाजियों के लिए तीन ज़बानों में खुसूसी ऐप (**Hajj-e-Mabroor**) लांच की गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत से उलमा ने दोनों ऐपस के लिए प्रशंसापत्र लिख कर अवाम व ख्वास से दोनों ऐपस से इस्तिफादा करने की दरखास्त की। यह प्रशंसापत्र दोनों ऐपस का हिस्सा हैं। ज़माने की रफ्तार से चलते हुए क़ुरान व हदीस की रौशनी में मुख्तसर दीनी पैगाम खुबसूरत इमेज की शकल में मुख्तलिफ सूत्रों से हज़ारों दोस्तों को पहुंच रहे हैं जो अवाम व ख्वास में काफी मक़बूलियत हासिल किए हुए हैं।

इन दोनों ऐपस (दीने इस्लाम और हज्जे मब्रूर) को तीन ज़बानों में लांच करने के लिये मेरे तक़रीबन 200 मज़ामीन का अंग्रेज़ी और हिन्दी में तर्जुमा करवाया गया। तर्जुमा के साथ ज़बान के माहिरीन से एडिटिंग भी कराई गई। हिन्दी के तर्जुमा में इस बात का ख्याल रखा गया कि तर्जुमा आसान ज़बान में हो ताकि हर आम व खास के लिए इस्तिफादा करना आसान हो।

अल्लाह के फज़ल व करम और उसकी तौफीक़ से अब तमाम मज़ामीन के अंग्रेज़ी और हिन्दी अनुवाद को विषय के एतेबार से किताबी शकल में तरतीब दे दिया गया है ताकि इस्तिफादा आम किया जा सके, जिसके ज़रिया 14 किताबें अंग्रेज़ी में और 14 किताबें हिन्दी में तय्यार हो गई हैं। उर्दू में प्रकाशित 7 किताबों के अलावा 10 नई किताबें छपने के लिए तय्यार कर दी गई हैं।

ज़कात इस्लाम के बुनियादी पांच अरकान में से एक रूकन है। अल्लाह तआला ने कुरान करीम की सैकड़ों आयात में ज़कात की अदाएगी का हुकम फरमाया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने इरशादात में ज़कात की अदाएगी की ताकीद और उसकी अहमियत ज़िक्र फरमाई है। मौज़ू की अहमियत के पेशे नज़र ज़कात और अल्लाह के रास्ते में खर्च के मुतअल्लिक़ जरूरी मसायल इस किताब (ज़कात और सदक़ात के बारे में गाइडेंस) में जमा कर दिए गए हैं।

अल्लाह तआला से दुआ करता हूं कि इन सारी खिदमात को कुबूलियत व मक़बूलियत से नवाज़ कर मुझे, ऐपस की तायीद में लेटर लिखने वाले उलमा-ए-कराम, टेक्निकल सपोर्ट करने वाले अहबाब, माली योगदान पेश करने वाले मुहसिनीन, मुतर्जिमीन, एडिटिंग करने वाले हज़रात खास कर जनाब अदनान महमूद उसमानी साहब, डिज़ाइनर और किसी भी क़िसम से तआवुन पेश करने वाले हज़रात को दोनों जहां की कामयाबी व कामरानी अता फरमाये। आखिर में दारूल उलूम देवबन्द के मुहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नुमानी साहब, मौलाना मोहम्मद असरारूल हक़ क़ासमी साहब (मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट) और प्रोफेसर अखतरूल वासे साहब (लेसानियात के कमिशनर, मंत्रालय अक़लियती बहबूद) का शुक्र गुज़ार हूं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद प्रस्तावना लिखा। डॉक्टर शफाअतुल्लाह खान साहब का भी मशकूर हूं जिनकी मेहनतों से यह प्रोजेक्ट मुकम्मल हूआ।

मोहम्मद नजीब क़ासमी संभली (रियाज़)

14 मार्च, 2016 ई॰

(Mufti) Abul Qasim Nomani
Mohtamim (VC) Darul Uloom Deoband

مفتی ابو القاسم نعمانی
مہتمم دار العلوم دیوبند، الہند

PIN- 247554 (U.P.) INDIA Tel: 01336-222429, Fax: 01336-222768 E-mail: info@darululoom-deoband.com

Ref. No.........   Date:.... ....

باسمہ سبحانہ وتعالیٰ

جناب مولانا محمد نجیب قاسمی سنبھلی مقیم ریاض (سعودی عرب) نے دینی معلومات اور شرعی احکام کو زیادہ سے زیادہ اہل ایمان تک پہونچانے کے لئے جدید وسائل کا استعمال شروع کرکے، دینی کام کرنے والوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم فرمائی ہے۔

چنانچہ سعودی عرب سے شائع ہونے والے اردو اخبار (اردو نیوز) کے دینی کالم (روشنی) میں مختلف عنوانات پر ان کے مضامین مسلسل شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اور موبائل ایپ اور ویب سائٹ کے ذریعہ بھی وہ اپنا دینی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہونچا رہے ہیں۔

ایک اچھا کام یہ ہوا ہے کہ زمانہ کی ضرورت کے تحت مولانا نے اپنے اہم اور منتخب مضامین کے ہندی اور انگریزی میں ترجمے کرادیے ہیں، جو الیکٹرونک بک کی شکل میں جلد ہی لانچ ہونے والے ہیں۔

اور امید ہے کہ مستقبل میں یہ پرنٹ بک کی شکل میں بھی دستیاب ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ مولانا قاسمی کے علوم میں برکت عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ مزید علمی افادات کی توفیق بخشے۔

ابو القاسم نعمانی غفرلہ
مہتمم دار العلوم دیوبند
۱۴۳۷/۶/۳ھ

Ph.: 011-23795046 Telefax: 011-23795314

تاثرات

عصر حاضر میں دینی تعلیمات کو جدید آلات و وسائل کے ذریعہ عوام الناس تک پہنچانا وقت کا اہم تقاضہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بعض دینی، معاشرتی اور اصلاحی فکر رکھنے والے حضرات نے اس سمت میں کام کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے سبب آج انٹرنیٹ پر دین کے تعلق سے کافی مواد موجود ہے۔ اگر چہ اس میدان میں زیادہ تر مغربی ممالک کے مسلمان سرگرم ہیں لیکن اب ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مشرقی ممالک کے علماء و داعیان اسلام بھی اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں جن میں عزیزم ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی صاحب کا نام سرفہرست ہے۔ وہ انٹرنیٹ پر بہت سا دینی مواد ڈال چکے ہیں، باضابطہ طور پر ایک اسلامی و اصلاحی ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں۔

ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی کا قلم رواں دواں ہے۔ وہ اب تک مختلف اہم موضوعات پر سینکڑوں مضامین اور کئی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کے مضامین پوری دنیا میں بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ وہ جدید ٹکنالوجی سے بخوبی واقف ہونے کی وجہ سے اپنے مضامین اور کتابوں کو بہت جلد دنیا بھر میں ایسے ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جن تک رسائی آسان کام نہیں ہے۔ موصوف کی شخصیت علوم دینی کے ساتھ علوم عصری سے بھی آراستہ ہے۔ وہ ایک طرف عالم دین ہیں، تو دوسری طرف ڈاکٹر و محقق بھی اور کئی زبانوں میں مہارت بھی رکھتے ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ فعال و متحرک نوجوان ہیں۔ جس طرح وہ اردو، ہندی، انگریزی اور عربی میں دینی و اصلاحی مضامین اور کتابیں لکھ کر عوام کے سامنے لا رہے ہیں، وہ اس کے لئے تحسین اور مبارک باد کے مستحق ہیں۔ ان کی شب و روز کی مصروفیات و جد و جہد کو دیکھتے ہوئے ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اسی مستعدی کے ساتھ مذکورہ تمام کاموں کو جاری رکھیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ان سے مزید دینی، اصلاحی اور علمی کام لے اور وہ اکابرین کے نقش قدم پر گامزن رہیں۔ آمین!

مخلص

(مولانا) محمد اسرار الحق قاسمی
ایم. پی. لوک-سبھا (انڈیا)
و صدر آل انڈیا تعلیمی و ملی فاؤنڈیشن، نئی دہلی
Email:asrarulhaqqasmi@gmail.com

प्रो. अख़्तरूल वासे
आयुक्त
PROF. AKHTARUL WASEY
Commissioner

भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
Commissioner for Linguistic Minorities in India
Ministry of Minority Affairs
Government of India

تقریظ

اطلاعاتی انقلاب برپا ہونے کے بعد جس طرح ہر قسم کی معلومات انٹرنیٹ کے ذریعہ آنکھوں کی دو پتلیوں میں سماگئی ہیں۔ اس نے ''گاگر میں ساگر'' اور ''کوزے میں دریا'' کے تخیلاتی تصورات کو نہ صرف حقیقت بنادیا ہے بلکہ ان پر ہمارا انحصار روز بروز ناگزیر ہوتا جارہا ہے۔ گوگل (Google) ہو یا وکی پیڈیا (Wikipaedia) یا پھر دوسری سوشل سائٹس انہوں نے ترسیل وابلاغ کو وہ ہمہ جہت رخ اور رفتار کی تیزی عطا کی ہے کہ فراق وفصل کے تمام تصورات بے معنی ہوکر رہ گئے ہیں۔ لیکن اس اطلاعاتی انقلاب نے ایک پیچیدہ مسئلہ یہ پیدا کردیا ہے کہ اطلاعات رسانی اور خبروں تک رسائی میں حقائق سے گریز یا ان کو مسخ کرنے کا چلن بھی اس طرح شامل ہوگیا ہے اور اس سچائی کو اسلام اور مسلمانوں سے بہتر کون جانتا ہے۔ دوسرا انگیز مسئلہ یہ ہے کہ باخبر ہونے اور معلومات حاصل کرنے کے لئے اب مطالعہ کی عادت لوگوں میں خاصی کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ موبائیل کے روپ میں دنیا ان کی مٹھی میں سمائی رہتی ہے اور وہ سب کچھ اسی کے ذریعہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس چیلنج اور مسئلے کے حل کے لئے ضروری ہے کہ ہم غلط بیانیوں اور حقائق کو دنیا پر آشکار کرنے کے لئے اور اپنے ہم مذہبوں خاص طور پر نئی نسل کو صحیح معلومات فراہم کرنے، انہیں رہنمائی دینے اور ان کے شعور میں بالیدگی اور پختگی لانے کے لئے اس اطلاعاتی انقلاب کے جتنے بھی وسائل وذرائع ہیں ان کا بھرپور استعمال کریں۔

مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ایک موقر اور معتبر عالم حضرت دین مولانا محمد نجیب قاسمی نے جواز ہر ہند دارالعلوم دیوبند کے قابل فخر ابنائے قدیم میں سے ہیں اور عرصہ سے مملکت سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں برسر کار ہیں، انہوں نے اس ضرورت کو بخوبی سمجھا اور دنیا کی پہلی اسلامی موبائیل ایپ ''دین اسلام'' اور ''حج مبرور'' اردو، انگریزی اور ہندی میں تیار کیا تھا اور اب وقت گزرنے کے ساتھ نئے سوالات کی روشنی اور علمی ضرورتوں کے تحت نئے مضامین اور نئے بیانات شامل کر کے ایک دفعہ پھر نئے انداز کے ساتھ پیش کرنے جارہے ہیں۔ مزید برآں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر دین کے حوالہ سے دوسو مضامین کے الیکٹرونک ایڈیشن کو بھی منظر عام پر لایا جارہا ہے۔ مجھے وقتاً فوقتاً محترم مولانا محمد نجیب قاسمی صاحب کے مقالے، الیکٹرانک مضامین اور علمی فتوحات سے استفادہ کرنے کا موقعہ ملتا رہا ہے۔ مجھے ان کے متوازن، اعتدال پسند اور عالمانہ انداز تحریر نے ہمیشہ متاثر کیا۔ میں مولانا نجیب قاسمی کی خدمت میں ہدیۂ تبریک وتشکر پیش کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کی عمر میں درازی، علم میں اضافہ اور قلم میں مزید پختگی عطا فرمائے۔ کیونکہ:

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

(پروفیسر اختر الواسع)
سابق ڈائریکٹر: ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز
سابق صدر: شعبہ اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی
سابق وائس چیرمین: اردو اکادمی، دہلی

14/11, जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली–110011
14/11, Jam Nagar House, Shahjahan Road, New Delhi-110011
Tel: (O) 011-23072651-52 Email: wasey27@gmail.com Website: www.nclm.nic.in

ज़कात के मसाइल

ज़कात के मानी

ज़कात के मानी पाकीज़गी, बढ़ौतरी और बरकत के हैं। अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया "**उनके माल से ज़कात लो ताकि उनको पाक करे और बाबरकत करे उसकी वजह से और दुआ दे उनको।**" (सूरह तौबा 103) शरई इस्तेलाह में माल के उस खास हिस्से को ज़कात कहते हैं जिसको अल्लाह तआला के हुक्म के मुताबिक़ फकीरों, मोहताजों वगैरह को देकर उन्हें मालिक बना दिया जाए।

ज़कात का हुकुम

ज़कात देना फर्ज़ है, क़ुरआन करीम की आयात और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से इसकी फर्ज़ियत साबित है। जो शख्स ज़कात के फर्ज़ होने का इंकार करे वह काफिर है।

ज़कात की फर्ज़ियत कब हुई

ज़कात की फर्ज़ियत इब्तिदाए इस्लाम में ही मक्का के अंदर नाज़िल हो चुकी थी जैसा कि इमाम तफसीर इब्ने कसीर ने सूरह मुज़्ज़म्मिल की आयत से इस्तिदलाल फरमाया है। क्योंकि यह सूरत मक्की है और बिल्कुल इब्तिदाए वही के ज़माने की सूरतों में से है, अलबत्ता अहादीस से मालूम होता है कि इब्तिदाए इस्लाम में ज़कात के लिए कोई खास निसाब या खास मिक़दार मुक़र्रर न थी बल्कि जो कुछ एक मुसलमान की अपनी ज़रूरत से बच जाता उसका एक बड़ा

हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च किया जाता था। निसाब का तअय्युन और ज़कात की मिक़दार का बयान मदीना में हिजरत के बाद हुआ।

ज़कात के फवायद

ज़कात एक इबादत है, अल्लाह का हुकुम है, ज़कात निकालने से हमें कोई मंफअत हासिल हो या न हो, कोई फायदा मिले या न मिले, अल्लाह के हुकुम की इताअत बज़ाते खुद मक़सूद है, असल मक़सद तो ज़कात का यह है, लेकिन अल्लाह का करम है जो कोई बन्दा ज़कात निकालता है तो अल्लाह उसको दुनियावी फवायद भी अता फरमाते हैं, उन फवायद में से यह भी है कि ज़कात की अदाऐगि बाक़ी माल में बरकत, इज़ाफा और पाकीज़गी का सबब बनती है।

चुनांचे क़ुरान करीम (सूरह बक़रह 276) में अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया "**अल्लाह सूद को मिटाता है और ज़कात और सदक़ात को बढ़ाता है**।"

एक हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बन्दा ज़कात निकालता है तो फरिशते उसके हक़ में दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह! जो शख्स अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है उसको और ज़्यादा अता फरमा और ऐ अल्लाह! जिस शख्स ने अपने माल को रोक कर रखा है और ज़कात अदा नहीं कर रहा है तो ऐ अल्लाह उसके माल पर हलाकत डाले।

एक हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई सदक़ा किसी माल में कमी नहीं करता है।

ज़कात किस पर फर्ज़ है?

उस मुसलमान आक़िल बालिग पर ज़कात फर्ज़ है जो साहबे निसाब हो। निसाब का अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा और क़र्ज़ से बचा हुआ होना शर्त है, नीज़ माल पर एक साल गुज़रना भी ज़रूरी है, लिहाज़ा मालूम हुआ कि जिसके पास निसाब से कम माल है या माल तो निसाब के बराबर है लेकिन वह क़र्ज़दार भी है या माल सालभर तक बाक़ी नहीं रहा तो ऐसे शख्स पर ज़कात फर्ज़ नहीं है।

ज़कात का निसाब

52.5 तोला यानी 512.36 ग्राम चांदी या 7.5 तोला सोना या उसकी क़ीमत का नक़द रूपया या ज़ेवर या सामाने तिजारत वगैरह जिस शख्स के पास मौजूद है और उस पर एक साल गुज़र गया है तो उसको साहबे निसाब कहा जाता है। औरतों के इस्तेमाली ज़ेवर में ज़कात के फर्ज़ होने में उलमा की राय मुख्तलिफ हैं। चूंकि ज़कात की अदाएगी न करने पर क़ुरान व हदीस में सख्त वईदें आई हैं लिहाज़ा इस्तेमाली ज़ेवर पर भी ज़कात अदा करनी चाहिए।

ज़कात कितनी अदा करनी है?

ऊपर ज़िक्र किए गए निसाब पर सिर्फ ढाई फीसद (2.5%) ज़कात अदा करनी ज़रूरी है।

समाने तिजारत में क्या क्या दाखिल है?

माले तिजारत में हर वह चीज़ शामिल है जिसको आदमी ने बेचेन की गरज़ से खरीदा हो, लिहाज़ा जो लोग इंवेस्टमेंट की गरज़ से

प्लाट खरीद लेते हैं और शुरू ही से यह नियत होती है कि जब अच्छे पैसे मिलेंगे तो उसको बेच करके उससे नफा कमाएंगे, तोउस प्लाट की मालियत पर भी ज़कात वाजिब है। लेकिन प्लाट इस नियत से खरीदा कि अगर मौक़ा हुआ तो उस पर रिहाइश के लिए मकान बनवा लेंगे या मौक़ा होगा तो उसको किराया पर चढ़ा दो या कभी मौक़ा होगा तो उसको बेच देंगे, यानी कोई वाज़ेह नियत नहीं है बल्कि वैसे ही खरीद लिया तो इस सूरत में इस प्लाट की क़ीमत पर ज़कात वाजिब नहीं है।

किस दिन की मालियत मोतबर होगी?

ज़कात की अदाएगी के लिए उस दिन की क़ीमत का एतेबार होगा जिस दिन आप ज़कात की अदाएगी के लिए अपने माल का हिसाब लगा रहे हैं।

हर हर रुपये पर साल का गुज़रना ज़रूरी नहीं

एक साल माल पर गुज़र जाए इसका मतलब यह नहीं कि हर साल हर हर रूपये पर मुस्तक़िल साल गुज़रे, यानी गुजश्ता साल रमज़ान में अगर आप 5 लाख रूपये के मालिक थे जिस पर एक साल भी गुज़र गया था, ज़कात अदा कर दी गई थी, इस साल रमज़ान तक जो रक़म आती जाती रही उस का कोई एतेबार नहीं, बस इस रमज़ान में देख लो कि तुम्हारे पास अब कितनी रक़म ज़रूरियात से बच गई है और उस रक़म पर ज़कात अदा कर दो, मसलन इस रमज़ान में छः लाख रूपये आपके पास ज़रूरियात से बच गए तो छः लाख का 2.5% ज़कात अदा कर दो।

ज़कात के हक़दार यानी ज़कात किस को अदा करें?

अल्लाह तआला ने सूरह तौबा आयत 60 में 8 तरह के आदमियों को ज़कात का हक़दार बताया है।

1) फक़ीर यानी वह शख्स जिसके पास कुछ थोड़ा माल व असबाब है, लेकिन निसाब के बराबर नहीं।

2) मिसकीन यानी वह शख्स जिसके पास कुछ भी न हो।

3) जो लोग ज़कात वसूल करने पर मुतअय्यन हैं।

4) जिनकी दिलजोई करना मंजूर हो।

5) वह गुलाम जिसकी आज़ादी मतलूब हो।

6) क़र्ज़दार यानी वह शख्स जिसके ज़िम्मे लोगों का क़र्ज़ हो और उसके पास क़र्ज़ से बचा हुआ बक़दरे निसाब कोई माल न हो।

7) अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला।

8) मुसाफिर जो हालते सफर में तंगदस्त हो गया हो।

वज़ाहत - इस आयत में अगरचे सदक़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, मगर क़ुरान करीम की दूसरी आयात व नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की रौशनी में मुफस्सेरीन ने लिखा है कि यहां सदक़ा से मुराद ज़कात है।

जिन लोगों को ज़कात देना जाएज़ नहीं है

1) उस शख्स को जिसके पास ज़रूरियाते असलिया से ज़ायद बक़दरे निसाब माल मौजूद है।

2) सैयद और बनी हाशिम, बनी हाशिम से हज़रत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत जाफर, हज़रत अक़ील, हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हुम की औलाद मुराद है।

3) अपने मां, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी को ज़कात देना जाएज़ नहीं है।

4) अपने बेटे, बेटी, पोता, पोती, नवासा, नवासी को ज़कात देना जाएज़ नहीं है।

5) शौहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को ज़कात नहीं दे सकती है।

6) काफिर को ज़कात नहीं दी जा सकती है।

नोट - भाई, बहन, भतीजा, भतीजी, भांजा, चाचा, फूफी, खाला, मामू, सास, ससुर, दामाद वगैरह में से जो हाजतमंद और मुस्तहिक़ ज़कात हों उन्हें ज़कात देने में दोहरा सवाब मिलता है, एक सवाब ज़कात का और दूसरा सिला रहमी का। किसी तोहफा या हदया के उनवान से भी इन मज़कूरा रिशतेदार को ज़कात दी जा सकती है।

ज़कात न निकालने पर वईद

सूरह तौबा आयत 34-35 में अल्लाह तआला ने उन लोगों के लिए बड़ी सख्त वईद बयान फरमाई है जो अपने माल की ज़कात नहीं निकालते। उनके लिए बड़े सख्त अल्फाज़ में खबर दी है, चुनांचे फरमाया कि जो लोग अपने पास सोना चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते तो (ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप उनको एक दर्दनाक अज़ाब की खबर दे दीजिए, यानी जो लोग अपना पैसा रूपया अपना सोना चांदी जमा

करते जा रहे हैं और उनको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते उन पर अल्लाह ने जो फरीज़ा आयद किया है उसको अदा नहीं करते, उनको खुशखबरी सुना दीजिए कि एक दर्दनाक अज़ाब उनका इंतेजार कर रहा है।

फिर दूसरी आयत में उस दर्दनाक अज़ाब की तफसील ज़िक्र फरमाई कि यह दर्दनाक अज़ाब उस दिन होगा जिस दिन सोने और चांदीको आग में तपाया जाएगा और फिर उस आदमी की पेशानी, उसके पहलू और उसकी पुशत को दागा जाएगा और उससे यह कहा जाएगा कि यह है वह खज़ाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था, आज तुम खज़ाने का मज़ा चखो जो तुम अपने लिए जमा कर रहे थे। अल्लाह तआला हम सबको इस अंजामे बद से महफूज़ फरमाए, आमीन।

एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब माल में ज़कात की रक़म शामिल हो जाए यानी पूरी ज़कात नहीं निकाली बल्कि कुछ ज़कात निकाली और कुछ रह गई तो वह माल इंसान के लिए तबाही और हलाकत का सबब है, लिहाज़ा इस बात का एहतेमाम करो कि एक एक पाई का सही हिसाब करके ज़कात अदा करो।

ज़कात से मुतअल्लिक़ चंद अलग मसाइल

ज़कात जिसको दी जाए उसे यह बताना कि यह माल ज़कात है ज़रूरी नहीं बल्कि किसी गरीब के बच्चों को ईदी या किसी और नाम से दे देना भी काफी है।

दीनी मदारिस में गरीब तालिब इल्म के लिए ज़कात देना जाएज़है।

ज़कात की रक़म मसाजिद, मदारिस, अस्पताल, यतीमखाने और मुसाफिर खाने की तामीर में खर्च करना जाएज़ नहीं है।
अगर औरत भी साहबे निसाब है तो उसपर भी ज़कात फर्ज़ है, अलबत्ता शौहर खुद ही औरत की तरफ से भी ज़कात की अदाएगी अपने माल से कर दे तो ज़कात अदा हो जाएगी।

सोने या चांदी के ज़ेवरात पर ज़कात

हज़रत उमर फारूक़, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अलआस रज़ियल्लाहु अन्हुम इसी तरह मशहूर व मारूफ ताबेईन हज़रत सईद बिन जुबैर, हज़रत अता, हज़रत मुजाहिद, हज़रत इब्ने सीरीन, इमाम ज़ुहरी, इमाम सौरी, इमाम औज़ाई और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहिम क़ुरान व सुन्नत की रौशनी में औरतों के सोने या चांदी के इस्तेमाली ज़ेवर पर वजूबे ज़कात के क़ायल हैं अगर वह ज़ेवर निसाब के बराबर या ज़ायद हो और उस पर एक साल भी गुज़र गया हो, जिसके मुख्तलिफ दलाइल पेश किए जाते हैं।

1) क़ुरान व सुन्नत के वह उमूमी हुकुम जिनमें सोने या चांदी पर बेगैर किसी (इस्तेमाली या ग़ैर इस्तेमाली) शर्त के ज़कात वाजिब होने का ज़िक्र है और इन आयात व अहादीसे शरीफा में ज़कात के अदाएगी में कोताही करने पर सख्त तरीन वईदें वारिद हुई हैं। बहुत सी आयात व अहादीस में यह उमूम मिलता है, इख्तिसार की वजह से सिर्फ एक आयत और एक हदीस पर इकतिफा करता हूं

“जो लोग सोना या चांदी जमा करके रखते हैं और उनको अल्लाहकी राह में खर्च नहीं करते (यानी ज़कात नहीं निकालते) सो आप उनको एक बड़े दर्दनाक अज़ाब की खबर सुना दीजिए जो कि उस रोज़ वाक़े होगी कि उन (सोना व चांदी) को दोज़ख की आग में तपाया जाएगा फिर उनसे लोगों की पेशानियों और उनकी करवटों और उनकी पुश्तों को दाग दिया जाएगा और यह जतलाया जाएगा कि यह वह है

जिसको तुम अपने वास्ते जमा करके रखते थे, सो अब अपने जमा करने का मजा चखो।” (सूरह तौबा 34, 35)

नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाए वह “कनज़तुम” (जमा किए हुए) में दाखिल नहीं है। (अबू दाऊद, मुसनद अहमद) गरज़ ये कि जिस सोने व चांदी की ज़कात अदा नहीं की जाती कल क़यामत के दिन वह सोना व चांदी जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उससे उनकी पेशानियों, पहलुओं और पुश्तों का दागा जाएगा। अल्लाह तआला हम सबको तमाम माल और सोने व चांदी के ज़ेवरात पर ज़कात की अदाएगी करने वाला बनाए ताकि इस दर्दनाक अज़ाब से हमारी हिफाज़त हो जाए (आमीन)।

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई शख्स जो सोने या चांदी का मालिक हो और उसका हक़ (यानी ज़कात) अदा न करे तो कल क़यामत के दिन उस सोने व चांदी के पतरे बनाए जाएंगे और उनको जहन्नम की आग में ऐसा तपाया जाएगा गोया कि वह खुद आग के पतरे हैं, फिर उससे उस शख्स का पहलू, पेशानी और कमर दाग दी जाएगी और क़यामत के पूरे दिन में जिस की मिक़दार पचास हज़ार साल होगी बार बार इसी तरह तपा तपा कर दाग दिए जाते रहेंगे यहां तक कि उनके लिए जन्नत या जहन्नम का फैसला हो जाए।

इस आयत और हदीस में आम तौर पर सोने या चांदी पर ज़कात की अदाएगी न करने पर दर्दनाक अज़ाब की ख्बर दी गई है चाहे ब्व इस्तेमाली ज़ेवर हों या तिजारती सोना व चांदी। गरज़ ये कि क़ुरान करीम में किसी एक जगह भी इस्तेमाली ज़ेवर का इस्तिसना नहीं किया गया है।

2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई, उसके साथ उसकी बेटी थी जो दो सोने के भारी कंगन पहने हुए थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से कहा कि क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? उस औरत ने कहा नहीं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम चाहती हो कि अल्लाह तआला इनकी वजह से कल क़यामत के दिन आग के कंगन तुम्हें पहनाए, तो उस औरत ने वह दोनों कंगन उतार कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए पेश कर दिए। (अबू दाऊद, मुसनद अहमद, तिर्मिज़ी, दारे क़ुतनी) शारेह मुस्लिम इमाम नववी और शैख नासिरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस को सही क़रार दिया है।

3) हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और मेरे हाथ में छल्ला देख कर मुझसे कहा कि ऐ आइशा! यह क्या है? मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! यह मैंने आपके लिए ज़ीनत हासिल करने की

गरज़ से बनवाया है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? मैंने कहा नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर यह तुम्हें जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। (अूबदाऊद जिल्द 1 पेज 244, दारे क़ुतनी)
मुहद्दिसीन की एक जमाअत ने हदीस को सही क़रार दिया है। इमाम खत्ताबी ने (मआलिमुस सुनन जिल्द 3 पेज 176) में ज़िक्र किया है कि गालिब गुमान यह है कि छल्ला तन्हा निसाब को नहीं पहुंचता है, इसके मानी यह हैं कि इस छल्ले को दूसरे ज़ेवरात में शामिल किया जाए, निसाब को पहुंचने पर ज़कात की अदाएगी करनी होगी। इमाम सुफयान सौरी ने भी यही तौजीह ज़िक्र की है।

4) हज़रत असमा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि मैं और मेरी खाला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुईं, हमने सोने के कंगन पहन रखे थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम इसकी ज़कात अदा करती हो? हमने कहा नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम डरती नहीं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तआला इनकी वजह से आग के कंगन तुम्हें पहनाए? लिहाज़ा इनकी ज़कात अदा करो। (मुसनद अहमद) मुहद्दिसीन की एक जमाअत ने हदीस को सही क़रार दिया है।
बहुत सी अहादीस में ज़ेवरात के वाजिब होने का ज़िक्र है, यहां तिवालत से बचने के लिए सिर्फ तीन अहादीस ज़िक्र की गई हैं।

इस्तेमाली ज़ेवर में ज़कात वाजिब न क़रार देने वाला उम्मते मुस्लिमा का दूसरा मक्तबे फिक्र उमूमन दो दलीलें पेश करता है।
1) अक़्ली दलील - अल्लाह तआला ने उसी माल में ज़कात को वाजिब क़रार दिया है जिसमें बढ़ोतरी की गुनजाइश हो, जबकि सोने और चांदी के ज़ेवरात में बढ़ोतरी नहीं होती है। हालांकि हक़ीक़तन ज़ेवरात में भी बढ़ोतरी होती है, चुनांचे सोने की क़ीमत के साथ ज़ेवरात की क़ीमत में भी इज़ाफा होता है, आज कल तो तिजारतसे ज़्यादा मार्जिन (Margin) सोने में मौजूद है।
2) चंद अहादीस व आसारे सहाबा - वह सबके सब ज़ईफ हैं जैसाकि शैख नासिरुद्दीन ने अपनी किताब (अरवाउल गलील) में दलाइल के साथ लिखा है।
बर्रे सगीर के जमहूर उलमाए किराम ने क़ुरान व हदीस की रौशनी में यही लिखा है कि इस्तेमाली ज़ेवरात में निसाब को पहुंचने पर ज़कात वाजिब है। सउदी अरब के साबिक़ मुफ्ती आम शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ की भी क़ुरान व सुन्नत की रौशनी में यही राय है कि इस्तेमाली ज़ेवर पर ज़कात वाजिब है।

(उसूली बात) मौज़ूए बहस मसअला में उम्मते मुस्लिमा ज़मानए क़दीम से दो मकातिबे फिक्र में मुनक़सिम हो गई है, हर मक्तबे फिक्र ने अपने मौक़िफ की ताईद के लिए अहादीसे नबविया से ज़रूर सहारा लिया है, लेकिन इस हक़ीक़त का कोई इंकार नहीं कर सकता कि क़ुरान करीम में जहां कहीं भी सोने या चांदी पर ज़कात की अदाएगी न करने पर सख्त वईदें वारिद हुई हैं किसी एक जगह भी इस्तेमाली या तिजारती सोने में कोई फर्क़ नहीं किया गया, हैनीज़

इस्तेमाली ज़ेवर को ज़कात से मुस्तसना करने के लिए कोई गैर क़ाबिले नक़्द व जरह हदीस के ज़खीरे में नहीं मिलती है, बल्कि बाज़ अहादीसे सहीहा इस्तेमाली ज़ेवर पर ज़कात वाजिब होने की वाज़ेह तौर पर रहनुमाई कर रही है। शैख नासिरुद्दीन अलबानी जैसे मुहद्दिस ने भी इनमें बाज़ अहादीस को सही तसलीम किया है, नीज़ इस्तेमाली ज़ेवर पर ज़कात के वाजिब क़रार देने के लिए अगर कोई हदीस न भी हो तो क़ुरान करीम के उमूमी हुकुम की रौशनी में हमें हर तरह के सोने व चांदी पर ज़कात अदा करनी चाहिए चाहे इसका तअल्लुक़ इस्तेमाल से हो या नहीं, ताकि कल क़यामत के दिन रुसवाई, ज़िल्लत और दर्दनाक अज़ाब से बच सकें । नीज़ इस्तेमाली ज़ेवर पर ज़कात के वाजिब क़रार देने में गरीबों, मिसकीनों, यतीमों और बेवाओं का फायदा है, ताकि चंद घरों में न सिमटे बल्कि हम अपने मुआशरे को इस रक़म से बेहतर बनाने में मदद हासिल करें।

(एहतियात) वह मज़कूरा बाला अहादीस जिनमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाली ज़ेवर पर भी वुजूबे ज़कात का हुकुम दिया है उनके सही होने पर मुहद्दिसीन की एक जमाअत मुत्तफिक़ हैं, अलबत्ता बाज़ मुहद्दिसीन ने सनदे हदीस में ज़ोफ का इक़रार किया है। लेकिन एहतियात इसी में है कि हम इस्तेमाली ज़ेवर पर भी ज़कात की अदाएगी करें, ताकि ज़कात की अदाएगी न करने पर क़ुरान व हदीस में जो सख्त तरीन वईदें आई हैं उनसे हमारी हिफाज़त हो सके, नीज़ हमारे माल में पाकीज़गी के साथ उसमें बढ़ोतरी उसी वक़्त पैदा होगी जब हम ज़कात की पूरी अदाएगी करेंगे, क्योंकि ज़कात की पूरी अदाएगी न करने पर माल की

पाकीज़गी और बढ़ोतरी का वादा नहीं है। नीज़ जो बाज़ सहाबा या ताबेईन इस्तेमाली ज़ेवर में ज़कात के वुजूब के क़ायल नहीं थे उनकी ज़िन्दगियों के अहवाल पढ़ने से मालूम होता है कि वह तो अपनी ज़रूरियात के मुक़ाबले में दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में अपनी दुनिया व आखिरत की कामयाबी समझते थे और अपने माल का एक बड़ा हिस्सा अल्लाह तआला के रास्ते में खर्च करते थे। तारीखी किताबें ऐसे वाक़्यात से भरी हुई हैं। इस वक़्त उम्मते मुस्लिमा का बड़ा तबक़ा ज़कात की अदाएगी के लिए भी तैयार नहीं है चेजाएकि दूसरे सदक़ात व खैरात व तआवुन से अपने गरीब भाईयों की मदद करे, लिहाज़ा इस्तेमाली ज़ेवर पर ज़कात निकालने में ही एहतियात है, ताकि हम दुनिया में गरीबों, यतीमों और बेवाओं की मदद करके कल क़यामत के दिन न सिर्फ अज़ाब से बच सकें, बल्कि अजरे अज़ीम के भी मुस्तहिक़ बनें।

(चंद वजाहतें) अगर ज़ेवरात इस्तेमाल के लिए नहीं हैं बल्कि मुस्तक़बिल में किसी तंग वक़्त में काम आने (मसलन बेटी की शादी) के लिए रखे हुए हैं या साल से ज़्यादा हो गया और उनका इस्तेमाल भी नहीं हुआ तो इस सूरत में सोने के ज़ेवरात पर ज़कात के वाजिब होने पर तक़रीबन तमाम उलमाए किराम का इत्तिफाक़ है यानी उम्मते मुस्लिमा का दूसरा मक्तबे फिक्र भी मुत्तफिक़ है।
ज़ेवरात की ज़कात में ज़कात की अदाएगी के वक़्त सोने के बेचने की क़ीमत का एतेबार होगा, यानी आपके पास जो सोना मौजूद है अगर इसको मार्केट में बेचें तो वह कितने में खरोख्त होगा, इस क़ीमत के एतेबार से ज़कात अदा करनी होगी।

डायमान्ड पर ज़कात वाजिब न होने पर उम्मते मुस्लिमा मुत्तफिक़ हैं, क्योंकि शरीअते इस्लामिया ने इसको कीमती पत्थरों में शुमार किया है। हां अगर यह तिजारत की गरज़ के लिए हों तो फिर निसाब के बराबर या ज़्यादा होने की सूरत में ज़कात वाजिब होगी।

अगर किसी शख्स के पास सोने या चांदी के अलावा नक़दी या बैंक बैलेंस भी है तो उन पर भी ज़कात अदा करनी होगी, अलबत्ता दो बुनियादी शर्त हैं:

1) निसाब के बराबर या ज़ायद हो।

2) एक साल गुज़र गया हो।

ज़मीन की पैदावार में ज़कात यानी उशर

खालिक़े कायनात की नेमतों में से एक बड़ी नेमत ज़मीन की तखलीक है जिसमें अल्लाह तआला के हुकुम से बेशुमार अनाज, फल फूल, सब्जियां और तरह तरह की नबातात पैदा होती हैं जिनके बगैर इंसान ज़िन्दा नहीं रह सकता। यह महज़ अल्लाह तआला का फज़्ल व करम व एहसान है कि उसने ज़मीन को इंसान के ताबे बना दिया और उसमें क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की रोज़ी का अज़ीम ज़खीरा जमा कर दिया।

अल्लाह तआला ने मिट्टी को पैदावार के क़ाबिल बनाया और पैदावार के उगने और उसके नश व नुमा के लिए बादलों से पानी बरसा कर, पहाड़ों से चशमे बहा कर और ज़मीन के अंदर पानी के ज़खीरे रख कर वाफिर मिक़दार में पानी पैदा कर दिया, नीज़ हवा के इंतज़ाम के साथ रौशनी व गर्मी का खास नज़्म किया ताकि ताम इंसान व जिन्नात और जानदार ज़मीन की पैदावार से भरपूर फायदा उठाकर ज़िन्दगी के अय्याम गुज़ारते रहें।

यक़ीनन ज़मीन व आसमान के पैदा करने वाले ही ने ज़मीन से पैदावारी का यह सारा इंतेज़ाम किया है। अल्लाह तआला क़ुरान करीम में इरशाद फरमाता है **"अच्छा यह बताओ कि जो कुछ तुम ज़मीन में बोते हो, क्या उसे तुम उगाते हो या उगाने वाले हम हैं।"** (सूरह वाक़्या 63) यानी तुम्हारा काम बस इतना ही तो है कि तुम ज़मीन में बीज डाल दो और मेहनत करो, इस बीज को परवान चढ़ा कर कोपल की शकल देना और इसे दरख्त या पौदा बना देना और

इसमें तुम्हारे फायदे के फल या गल्ले पैदा करना क्या तुम्हारे अपने बस में था? अल्लाह तआला के सिवा कौन है जो तुम्हारे डाले हुए बीज को यहां तक पहुंचा देता है।

यक़ीनी तौर पर ज़मीन की पैदावार का हर हर दाना अल्लाह तआला की अज़ीम नेमत है और हक़ीक़ी पैदा करने वाला अल्लाह तआला ही है, इंसान तो अल्लाह की अज़ीम नेमतों (मिट्टी को पैदावार के क़ाबिल बनाना, हवा, गर्मी व सर्दी और रौशनी का इंतेज़ाम वगैरह) से फायदा उठाए बेगैर ए तिनका भी ज़मीन से नहीं उगा सकता, इस अज़ीम नेमत पर हर शख्स को अल्लाह तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तआला ने इस ज़मीन से हमारे लिए उम्दा उम्दा गिज़ाओं का इंतेज़ाम किया। शरीअते इस्लामिया ने इज़हारे तशक्कुर का यह तरीक़ा बताया है कि ज़मीन की हर पैदावार पर उशर या निस्फ उशर (दसवां या बीसवां हिस्सा) यानी दस या पांच फीसद ज़कात निकालें ताकि गरीब और मोहताजों की ज़रूरतों की तकमिल हो सके।

पैदावार की ज़कात के मुतअल्लिक़ अल्लाह तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है "**अल्लाह वह है जिसने बागात पैदा किए जिनमें से कुछ (बेलदार हैं जो) सहारों से ऊपर चढ़ाए जाते हैं और कुछ सहारों के बेगैर बुलंद होते हैं और नखलिस्तान और खेतियां पैदा कीं, जिनके ज़ायक़े अलग अलग हैं और ज़ैतून और अनार पैदा किए जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी। जब यह दरख्त फल दे तो उनके फलों को खाने में इस्तेमाल करो**

और जब उनकी कटाई का दिन आए तो अल्लाह का हक़ अदा करो और फुज़ूलखर्ची न करो। याद रखो वह फुज़ूलखर्च लोगों को पसंद नहीं करता।” (सूरह अनआम 141)

इसी तरह अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है “**ऐ ईमान वालो जो कुछ तुमने कमाया हो और जो पैदावार हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाली हो उसकी अच्छी चीजों का एक हिस्सा (अल्लाह के रास्ते में) खर्च किया करो और यह नियत न रखो कि बस ऐसी खराब किस्म की चीजें (अल्लाह के नाम पर) दिया करोगे जो (अगर केई दूसरा तुम्हें दे तो नफरत के मारे) तुम उसे आंखें मीचे बेगैर न ले सको। और याद रखो कि अल्लाह बेनियाज़ है और क़ाबिले तारीफ है।**” (सूरह बक़रह 267)

क़ुरान करीम के पहले मुफस्सिरे अव्वल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो ज़मीन दरया और बादल से सींची जाए उसकी पैदावार का दसवां हिस्सा और जो ज़मीन कुंए से सींची जाए उसकी पैदावार का बीसवां हिस्सा (ज़कात के तौर पर निकाला जाए)।

क़यामत तक आने वाली सारी इंसानियत के नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो ज़मीन आसमान, चशमा और तालाब के पानी से सींची जाए उसकी पैदावार का दसवां हिस्सा और जो ज़मीन में डोल या रहट के ज़रिया सींची जाए उसकी पैदावार का बीसवां हिस्सा (ज़कात के तौर पर निकाला जाए)।

क़ुरान व हदीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा का इत्तिफाक़ है कि ज़मीन की पैदावार पर दसवां या बीसवां हिस्सा (दस या पांच फीसद)

ज़कात में देना ज़रूरी है अगरचे इसकी तफसीलात में कुछ इख्तेलाफ हैं। (बदाये सनाये) शैख इब्ने कुदामा ने अपनी किताब "अलमुगनी" में लिखा है कि ज़मीन की पैदावार में ज़कात के वुजूब के सिलसिले में उम्मते मुस्लिमा के दरमियान कोई इख्तिलाफ ही नहीं है।

उशर के मानी

उशर के असल मानी दसवें हिस्से के हैं, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदावार की ज़कात के मुतअल्लिक़ जो तफसीर बयान फरमाई है उसमें ज़मीन की दो क़िस्में क़रार दी हैं।

1) अगर ज़मीन बारानी हो यानी बारिश या नदी व नहर के मुफ्त पानी से सैराब होती है तो पैदावार में उशर यानी दसवां हिस्सा ज़कात में देना फर्ज़ है।

2) अगर ज़मीन को ट्यूबवेल वगैरह से सैराब किया जाता है तो निस्फ उशर (पांच फीसद) यानी बीसवां हिस्सा ज़कात में देना फर्ज़ है।

खुलासा कलाम यह है कि अगर मुफ्त से सैराब हो कर पैदावार हुई तो दसवां हिस्सा (दस फीसद) वरना बीसवां हिस्सा (पांच फीसद)।

अगर ज़मीन दोनों पानी (बारिश वगैरह और ट्यूबवेल) से सैराब हुई है तो अक्सरियत का एतेबार होगा।

फुक़हा की इस्तेलाह में दोनों क़िस्म पर आयद होने वाली ज़कात को उशर ही के उनवान से ताबीर किया जाता है।

निसाबे उशर

क़ुरान व हदीस के उमूम की वजह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उशर के लिए कोई निसाब ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर पैदावार पर ज़कात वाजिब है चाहे पैदावार कम हो या ज़्यादा,

यानी उशर में ज़कात की तरह कोई निसाब ज़रूरी नहीं कि जिससे कम होने पर उशर साकित हो जाए। इसी तरह इमाम अबू हनीफा की राय में फलों, सब्ज़ियों और तरकारियों पर भी ज़कात (उशर या निस्फ उशर) वाजिब है। दूसरे अईम्मा और इमाम मोहम्मद व इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहिम के नज़दीक (लैस फीमा दून खमसतु औसकिन सदकतुन) की रौशनी में पांच वसक (छः कुंटल और 53 किलो) से अगर कम पैदावार हो तो ऐसे लोगों पर उशर वाजिब नहीं है। यानी अगर छः कुंटल और 53 किलो से कम गेहूं पैदा हो तो उस पर उशर वाजिब नहीं।

उशर और ज़कात में फर्क़

पैदावार की ज़कात (उशर या निस्फ उशर) हर पैदावार पर दी जाएगी, चाहे साल में एक से ज़्यादा पैदावार हुई, यानी एक से ज़्यादा मरतबा पैदावार हुई है तो हर मरतबा उशर या निस्फ उशर दिया जाएगा। माल या सोने की ज़कात के वुजूब के लिए ज़रूरी है कि वह ज़रूरियात से बचा हुआ हो, निसाब को पहुंचा हुआ हो और उस पर एक साल गुज़र गया हो, लेकिन पैदावार की ज़कात के लिए यह तमाम शर्त ज़रूरी नहीं हैं। गरज़ ये कि माल या सोने व चांदी पर साल में एक बार ज़कात वाजिब होती है, जबकि साल में दो पैदावार होने पर दो मरतबा ज़कात अदा की जाएगी।

पैदावार पर ज़कात की अदाएगी के बाद अगर गल्ला कई साल तक भी रखा रहे तो उस पर दोबारा ज़कात ज़रूरी नहीं है, हां अगर गल्ला बेच दिया गया तो उससे हासिल शुदा माल पर एक साल गुज़रने और निसाब को पहुंचने पर ज़कात वाजिब होगी।

खेत की ज़मीन पर कोई ज़कात वाजिब नहीं होती है चाहे जितनी क़ीमत की हो।

बटाई की ज़मीन का उशर

जिसके हिस्से में जितनी पैदावार आएगी उसके मुताबिक़ उसकी ज़कात (उशर या निस्फ उशर) अदा करना ज़रूरी है, मसलन ज़मीन मालिक और खेती करने वाले के दरमियान आधी आधी पैदावार तक़सीम हुई तो दोनों को हासिल शुदा पैदावार पर ज़कात अदा करना ज़रूरी है।

कटाई का खर्च और उशर

पैदावार की ज़कात तमाम पैदावार से निकाली जाएगी, इसमें कटाई वगैरह के मसारिफ शामिल नहीं किए जाते हैं, मसलन सौ कुंटल गेहूं पैदा हुए, पांच कुंटल गेहूं कटाई में और कुंटल घाहने (थ्रेशर) में दे दिया गया तो 58 कुंटल पर नहीं बल्कि पूरी पैदावार यानी सौ कुंटल पर ज़कात अदा करनी होगी।

मुतफर्रिक़ मसाइल

— पैदावार की ज़कात में जो हिस्सा अदा करना वाजिब है मसलन एक कुंटल गेहूं तो गेहूं के बजाए अगर उसकी क़ीमत दे दी जाए तो भी जाएज़ है। (शामी)

— अगर रिहाइशी मकान के इर्द गिर्द या उसके सेहन में किसी फल मसलन अमरूद का पेड़ लगाया या मामूली सी खेती कर ली तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। (शामी)

— हिन्दुस्तान की जमीनें आम तौर पर उशरी हैं, यानी पैदावार का दस या पांच फीसद मुस्तहिक़्क़ीने ज़कात को अदा करना चाहिए। मौलाना अब्दुस समद रहमानी ने लिखा है कि हिन्दुस्तानी जमीनों

की कुल तेरह सूरतें हैं जिनमें से दस में लठ्ठसउशर या निस्फ उशर वाजिब होता है और तीन में एतियातन उशर या निस्फ उशर अदा करना चाहिए। (जदीद फिक़ही मसाइल - मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब)

— हिन्दुस्तान की जमीनों में पैदावार पर ज़कात के सिलसिले में बाज़ उलमा का इख्तिलाफ भी है, मगर क़ुरान करीम आयात व अहादीस के उमूम की वजह से इतियात इसी में है कि हर पैदावार का दस या पांच फीसद ज़कात के हक़दार को अदा किया जाए।

खेती की ज़कात के मुस्तहिक्कीन भी ज़कात के हक़दार की तरह 8 हैं

अल्लाह तआला ने सूरह तौबा आयत 60 में 8 तरह के लोगों को ज़कात लेने का हक़दार बनाया है

1) फकीर यानी वह शख्स जिसके पास कुछ थोड़ा माल व असबाब है, लेकिन निसाब के बराबर नहीं।

2) मिसकीन यानी वह शख्स जिसके पास कुछ भी न हो।

3) जो लोग ज़कात वसूल करने पर मुतअय्यन हैं।

4) जिनकी दिलजोई करना मंजूर हो।

5) वह गुलाम जिसकी आज़ादी मतलूब हो।

6) क़र्ज़दार यानी वह शख्स जिसके ज़िम्मे लोगों का क़र्ज़ हो और उसके पास क़र्ज़ से बचा हुआ बक़दरे निसाब कोई माल न हो।

7) अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला।

8) मुसाफिर जो हालते सफर में तंगदस्त हो गया हो।

अल्लाह तआला हमारी जानी व माली तमाम इबादतों को क़बूल फरमाए, आमीन।

अल्लाह तआला हमसे
क़र्ज़ हसन का मुतालबा करता है

बावज़ूद कि अल्लाह तआला ही पूरी कायनात का खालिक, मालिक और राजिक है, उसीने हमें और तमाम इंसान और जिन्नात को पैदा किया है, वही माल देने वाला और माल के ज़रिया दुनियावी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है मगर उसका फजल व करम व इहसान है कि माल दे कर वह हमसे मुतालबा करता है कि हम उसको क़र्ज़ हसन अदा करें। अल्लाह तआला ने कुरान करीम की छः आयात में बारह मकामात पर क़र्ज़ का ज़िक्र फरमाया है और हर आयत में क़र्ज़ को हसन के साथ बयान किया है। इन आयात में अल्लाह तआला ने क़र्ज़ हसन के मुख्तलिफ बदले ज़िक्र किए हैं, दुनिया में बेहतरीन बदला, दुनिया व आखिरत में बेहतरीन बदला, आखिरत में अज़ीम बदला, गुनाहों की माफी और जन्नत में दाखिला।

क़र्ज़ के मानी काटने के हैं यानी अपने माल में से कुछ माल काट कर अल्लाह तआला के रास्ते में दिया जाए तो अल्लाह तआला इसका कई गुना बदला अता फरमाएगा। मोहताज लोगों की मदद करने से माल में कमी वाक़े नहीं होती है बल्कि अल्लाह तआला की रज़ा के लिए जो माल गरीबों, मिसकीनों और ज़रूरत मंदों का दिया जाता है अल्लाह तआला इसमें कई गुना इजाफा फरमाता है कभी जाहिरी तौर पर कभी मानवी व रूहानी तौर पर इसमें बरकत डाल देता है और आखिरत में तो यक़ीनन इसमें हैरान कुन इजाफा होगा। हसन के मानी बेहतर, खुबसूरत और अच्छे के हैं। क़र्ज़ हसन से मुतअल्लिक़ 6 आयाते कुरानिया हसबे जैल हैं।

कौन शख्स है जो अल्लाह तआला को क़र्ज़ हसन दे ताकि उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वापस करे, माल का घटाना और बढ़ाना सब अल्लाह ही के इख्तियार में है और इसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। (सूरह बक़रह 245) और तुम अल्लाह तआला की क़र्ज़ हसन देते रहे तो यक़ीन रखो कि मैं तुम्हारी बुराईयों तुम से दूर कर दुंगा और तुम्हें ऐसी जिन्नतों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरे बहती होंगी। (सूरह माइदा 12) कौन शख्स है जो अल्लाह तआला को क़र्ज़ हसन दे ताकि अल्लाह तआला उसे बढ़ा चढ़ा कर वापस करे। और उसके लिए बेहतरीन अजर है। (सूरह हदीद 11) मर्द और औरत में से जो लोग सदकात देने वाले हैं और जिन्होंने अल्लाह तआला को क़र्ज़ हसन दिया है उनको यक़ीनन कई गुना बढ़ा दिया जाएगा और उनके लिए बेहतरीन अजर है। (सूरह हदीद 18) अगर तुम अल्लाह तआला को क़र्ज़ हसन दो तो वह तुम्हें कई गुना बढ़ा कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। अल्लाह तआला बड़ा कदरदां और बुर्दबार है। (सूरह तगाबून 17) और अल्लाह तआला को क़र्ज़ हसन दो जो कुछ नेक आमाल तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहां मौज़ूद पाओगे वही ज़्यादा बेहतर है और इसका अजर बहुत बड़ा है। (सूरह मुजम्मिल 20)

क़र्ज़ हसन से क्या मुराद है?

क़ुरान करीम में इस्तेमाल ुई इस्तिलाह (क़र्ज़ हसन) से अल्लाह तआला के रास्ते में खर्च करना, गरीबों और मोहताजों की मदद करना, यतीमों और बेवाओं की किफालत करना, मुकरूजीन के क़र्ज़ की अदाएगी करना, नीज़ अपने बच्चों पर खर्च करना मुराद है गरज़

ये कि इंसानियत के काम आने वाली तमाम शकलें इसमें दाखिल हैं जैसा कि मुफस्सेरीन कुरान ने अपनी तफसीरों में लिखा है। इसी तरह क़र्ज़ हसन में यह शकल भी दाखिल है कि किसी परेशान हाल शख्स को इस नियत के साथ क़र्ज़ दिया जाए कि अगर वह अपनी परेशानियों की वजह से वापस न कर सका तो उससे मुतालबा नहीं किया जाएगा।

अल्लाह ने बन्दों की ज़रूरत में खर्च करने को क़र्ज़ हसन से क्यों ताबीर किया?

अल्लाह तआला ने मोहताज बन्दों की ज़रूरतों में खर्च करने को अल्लाह तआला को क़र्ज़ देना क़रार दिया, हालांकि अल्लाह तआला बेनियाज है वह न सिर्फ माल व दौलत और सारी ज़रूरतों का पैदा करने वाला है बल्कि वह तो पूरी कायनात का खालिक, मालिक और राजिक है, हम सब उसी के खजाने से खा पी रहे हैं ताकि हम बढ़ चढ़ कर इंसानों के काम आएं, यतीम बच्चों और बेवा औरतों की किफालत करें, गरीब मोहताजों के लिए रोटी कपड़ा और मकान के इंतिज़ाम के साथ उनकी दीनी व असरी तालिमी ज़रूरतों को पूरा करने में एक दूसरे से मुसाबक़त करें, जिसकी वजह से अल्लाह तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, दोनों जहां में उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए और अपने मेहमान खाना जन्नतुल फिदौस में मकाम अता फरमाए, आमीन।

हज़रत अबुल दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब क़र्ज़ हसन से मुताअल्लिक़ आयत कुरान करीम में नाज़िल हुई तो हज़रत अबुल दहदा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! क्या अल्लाह तआला हमसे क़र्ज़ तलब फरमाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हां। वह अर्ज़ करने लगे अपना दस्ते मुबारक मुझे पकड़वा दीजिए (ताकि मैं आप के दस्ते मुबारक पर एक अहद करूं)। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ बढ़ा दिया। हज़रत अबुल दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुआहिदा के तौर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ कर अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! मैंने अपना बाग अपने अल्लाह को क़र्ज़ दे दिया। उनके बाग में खजूर के 600 दरखत थे और इसी बाग में उनके बीवी बच्चे रहते थे। यहां से उठ कर अपने बाग गए और अपनी बीवी उम्मुद दुहदा से आवाज़ दे कर कहा चलो इस बाग से निकल चलो, यह बाग मैंने अपने रब कोक़र्ज़ दे दिया। (तफसीर इब्ने कसीर) यह है वह कीमती सौदा जो हज़रत अबुल दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया, उनके पास दो बाग थे उनमें से एक बाग बहुत कीमती था जिसमें खजूर के 600 दरखत थे जिसको वह बहुत पसंद करते थे और इसी में वह और उनके बच्चे रहते थे लेकिन मज़कूरा आयत के नजूल के बाद यह कीमती बाग ज़रूरत मदं लोगों के लिए अल्लाह तआला को क़र्ज़ दे दिया। ऐसेही लोगों की तारीफ में अल्लाह तआला ने अपने कलाम में इरशाद

फरमाया "अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं चाहे खुद उनको कितनी ही सख्त ज़रूरत हो।" (सूरह हशर 9)

क़र्ज़ हसन और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की फज़ीलत

मज़कूरा तफसील से मालूम हुआ कि क़र्ज़ हसन से मुराद अल्लाह तआला की खुशनूदी के लिए बन्दों की मदद करना है यानी अल्लाह तआला के रास्ते में खर्च करना है लिहाज़ा अल्लाह तआला के रास्ते में खर्च करने के चंद फज़ाइल लिखे हैं। जो लोग अपना माल अल्लाह तआला के रास्ते में खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें सात बालियां निकलें और हर बाली में सौ दाने हों और अल्लाह तआला जिसको चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे और अल्लाह तआला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। (सूरह बक़रह 261) उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह तआला की रज़ामंदी की तलब में दिल की खुशी और यक़ीन के साथ खर्च करते हैं उस बाग जैसी है जो ऊंची ज़मीन पर हो और जोरदार बारिश उसपर बरसे और वह अपना फल दो गुना लावे और अगर उसपर बारिश न भी बरसे तो फौवारा ही काफी है और अल्लाह तआला तुम्हारे काम देख रहा है। (सूरह बक़रह 265) जिस कदर खुलूस के साथ हम अल्लाह तआला के रास्ते में माल खर्च करेंगे उतना ही अल्लाह तआला की तरफ से उसका अजर व सवाब ज़्यादा होगा। एक रूपय भी अगर अल्लाह तआला की खुशनूदी के लिए किसी मोहताज को दिया जाएगा तो अल्लाह तआला 700 गुना बल्कि उससे भी ज़्यादा सवाब देगा। मज़कूरा आयात के आखिर में अल्लाह तआला की दो सिफात ज़िक्र

की गई है, वसी और अलीम यानी उसका हाथ तंग नहीं है कि जितने अजर का अमल मुस्तहिक़ है वह ही दे बल्कि उससे भी ज़्यादा देगा। दूसरे यह कि वह अलीम है कि जो कुछ खर्च किया जाता है और जिस जज़्बा से किया जाता है उससे बेखबर नहीं है बल्कि उसका अजर ज़रूर देगा।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं और यतीम की किफालत करने वाला दोनों जन्नत में इस तरह होंगे जैसे दो अंगूलियां आपस में मिली हुई होती हैं। (बुखारी)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मिसकीन और बेवा औरत की मदद करने वाला अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है। (बुखारी व मुस्लिम)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स किसी मुसलमान को ज़रूरत के वक़्त कपड़ा पहनाएगा अल्लाह तआला उसको जन्नत के सब्ज लिबास पहनाएगा। जो शख्स किसी मुसलमान को भुक की हालत में कुछ खिलाएगा अल्लाह तआला उसको जन्नत के फल खिलाएगा। जो शख्स किसी मुसलमान को प्यास की हालत में पानी पिलाएगा अल्लाह तआला उसको जन्नत की ऐसी शराब पिलाएगा जिस पर वह महर लगी हुई होगी। (अबू दाउद, तिर्मिज़ी)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हें अपने कमजोर के तुफैल से रिज़्क़ दिया जाता है और तुम्हारी मदद की जाती है। (बुखारी)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सदका करने से माल में कमी नहीं होती है। (मुस्लिम)

जिन हज़रात को क़र्ज़ हसन और सदकात दिए जा सकते हैं उनमें से बाज़ यह हैं गरीब रिशतेदार, यतीम, बेवा, फकीर, मिसकीन, सइल, क़र्ज़दार यानी वह शख्स जिसके जिम्मा लोगों का क़र्ज़ हो और वह मुसाफिर जो हालते सफर में तंगदस्त हो गया हो जैसा कि अल्लाह तआला फरमाता है जो माल से मोहब्बत करने के बावज़ूद रिशतेदारों, यतीमों, मिसकीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वाले को दे। (सूरह बक़रह 177) उनके माल में मांगने वाले महरूम का हक़ है। (सूरह जारियात 19)

क़र्ज़ हसन और अल्लाह के रास्ता मेंपसंदीदा चीजें खर्च करें

जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह तआला की राह में खर्च नहीं करोगे हरगिज भलाई नहीं पाओगे। (सूरह आले इमरान 92) ऐ इमान वालो! अपनी पाकिज़ा कमाई में से खर्च करो। (सूरह बक़रह 267) जब यह आयत नाज़िल हुई तो हज़रत अबू तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाज़िर हुए और अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! अल्लाह तआला ने महबूब चीज के खर्च करने का ज़िक्र फरमाया है और मुझे सारी चीजों में अपना बाग (बीरे हा) सबसे ज़्यादा महबूब है, मैं उसको अल्लाह के लिए सदका करता हुं और उसके अजर व सवाब की अल्लाह तआला से उम्मीद रखता हुं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ तल्हा! तुमने बहुत ही नफा का सौदा किया। एक दूसरी हदीस में है कि हजर अबू तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! मेरा बाग जो इतनी मालियत का है वह सदका हे और

अगर मै उसकी ताकत रखता कि किसी को उसकी खबर न हो तो ऐसा ही करता मगर यह ऐसी चीज नहीं है जो मख्फी रह सके। (तफसीर इब्ने कसीर)

इस आयत के नाज़िल होने के बाद हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि मुझे अपने तमाम माल में सबसे ज़्यादा पसंदीदा माल खैबर की ज़मीन का हिस्सा है, मैं उसे अल्लाह तआला की राह में देना चाहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे फक्फ कर दो। असल रोक लो और फल वगैरह अल्लाह की राह में दे दो। (बुखारी व मुस्लिम)

हज़रत मोहम्मद बिन मुनकिदर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो हज़रत जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक घोड़ा जो उनको अपनी सारी चीजों में सबसे ज़्यादा महबूब था। (उस ज़माना में घोड़े की हैसियत तक़रीबन वही थी जो उस ज़माना में गाड़ी की है) वह उसको लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि यह सदका है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़बूल फरमा लिया और लेकर उनके साहबजादा हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दिया। हज़रत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरा पर कुछ गिरानी के आसार ज़ाहिर हुए (कि घर में ही रहा, बाप के बजाए बेटे का हो गया) हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तआला ने तुम्हारा सदका क़बूल कर लिया, अब चाहे इसको तुम्हारे बेटे को दुं या किसी और रिशतेदार को या अजनबी को। गरज़ ये कि इस आयत के नाज़िल होने के बाद

सहाबए किराम की एक जमाअत ने अपनी अपनी महबूब चीजें अल्लाह तआला के रास्ते में दीं, जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरतमंद लोगों के दरमियान तक़सीम कीं।
(वज़ाहत) सहाबए किराम की तरबियत खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी और उनका ईमान और तवक्कुल कामिल था, लिहाज़ा उनके लिए अपनी पसंदीदा चीजों का अल्लाह तआला के रास्ते में खर्च करना बहुत आसान था जैसा कि सहाबए किराम के वाक़यात तारीखी किताबों में महफूज़ हैं। जंगे खैबर के मौक़ा पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का अपना सारा सामान अल्लाह तआला के रास्ते में खर्च करना, हज़रत उसमान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का हर ज़रूरत के वक़्त अपने माल के वाफिर हिस्सा को अल्लाह तआला की खुशनूदी हासिल करने के लिए खर्च करना वगैरह वगैरह। आज हम ईमान व अमल के एतेबार से कमजोर हैं और हम ''लन तनालू आखिर तक" का मिसदाक बज़ाहिर बन सकते हैं तो कम से कम ''या ऐयहल्लजीन आमुनु आखिर तक" पर अमल करके अपनी रोजी सिर्फ हलाल तरीक़ा से हासिल करने पर इकतिफा करें और इसी हलाल रिज़्क़ में से अल्लाह तआला की खुशनूदी के लिए ज़रूरतमंद लोगों पर खर्च करें।

क़र्ज़ हसन या अल्लाह के रास्ते में खर्च को बरबाद करने वाले असबाब

अल्लाह तआला की रज़ा का हुसूल मतलूब न हो बल्कि रिया यानी शोहरत मतलूब हो या इहसान जताना मकसूद हो। इसी तरह क़र्ज़ हसन या सदका दे कर लेने वाले को ताना वगैरह दे कर तकलिफ

पहुंचाई जाए। लिहाज़ा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तआला की रज़ा के हुसूल के लिए किसी की मदद की जाए जैसा कि अल्लाह तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया "ऐ ईमान वालो! अपनी खैरातको इहसान जता कर और ईजा पहुंचा कर बरबाद नह करो, जिस तरह वह शख्स जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे। (सूरह बक़रह 264) जो लोग अपना माल अल्लाह तआला की राह में खर्च करते हैं फिर उसके बाद न तो इहसान जताते हैं न ईजा देतेहैं उनका अजर उनके रब के पास है, उनपर न तो कुछ खौफ है न वह उदास होंगे। (सूरह बक़रह 262) उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह तआला की रज़ामंदी की तलब में दिल की ख़ुशी से खर्च करते हैं। (सूरह बक़रह 265)

तंगदस्ती और हाजत के वक़्त में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करें

क़र्ज़ हसन या सदकात के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी रकमही खर्च करें या इसी वक़्त लोगों की मदद करें जब हमारे पास दुनियावी मसाइल बिल्कुल ही न हों बल्कि तंगदस्ती के दिनों में भी हसबे इस्तिताअत लोगों की मदद करने में हमें कोशां रहना चाहिए"जैसा कि अल्लाह तआला फरमाता है जो महज खुशहाली में ही नहीं बल्कि तंगदस्ती के मौक़ा पर भी खर्च करते हैं उनके रब की तरफ से उसके बदला में गुनाहों की माफी है और ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरे बहती हैं। (सूरह आले इमरान 134) जो माल से मोहब्बत करने के बावज़ूद रिशतेदारों, यतीमों, मिसकीनों, मुसाफिरों और सवाल करने वाले को दे। मुफस्सेरीन ने लिखा है कि माल की मोहब्बत से मुराद माल की ज़रूरत है। यानी हमें माल की ज़रूरत है, उसके बावज़ूद हम

दूसरों की मदद के लिए कोशां हैं। (सूरह बक़रह 177) नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे बेहतर सदका के मुतअल्लिक़ सवाल किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस हाल में भी खर्च करो कि तुम सही सालिम हो और ज़िन्दगी की उम्मीद भी हो, अपने गरीब हो जाने का डर और अपने मालदार होने की तमन्ना भी हो। यानी तुम अपनी ज़रूरतों के साथ दूसरों की ज़रूरतों का पूरा करने की फिक्र करो। (बुखारी, मुस्लिम)

खुलासा बहस

अल्लाह तआला ने माल व दौलत को इंसान की ऐसी दुनियावी ज़रूरत बनाई है कि अमूमन इसके बेगैर इंसान की ज़िन्दगी दो भर रहती है। माल व दौलत के हुसूल के लिए अल्लाह तआला ने इंसान को जाएज़ कोशिशें करने का मुकल्लफ तो बनाया है मगर इंसान की जद्दु व जिहद और दौड़ व धूप के बावज़ूद उसकी अता अल्लाह तआला ने अपने इख्तियार में रखी है चाहे तो वह किसी के रिज़्क़ में कुशादगी कर दे और चाहे तो किसी के रिज़्क़ में तमाम दुनियावी असबाब के बावज़ूद तंगी पैदा कर दे।

माल व दौलत के हुसूल के लिए इंसान को खालिक़े कायनात ने यूंही आजाद नहीं छोड़ दिया कि जैसे चाहो कमाओ खाओ। बल्कि उसके उसूल व जवाबित बनाए ताकि इस दुनियावी ज़िन्दगी का निज़ाम भी सही चल सके और उसके मुताबिक़ आखिरत में जजा व सजा का फैसला हो सके। इन्हीं उसूल व जवाबित को शरीअत कहा जाता है जिसमें इंसान को यह रहनुमाई भी दी जाती है कि माल किस तरह कमाया जाए और कहा कहां खर्च किया जाए।

अपने और बाल बच्चों के अखराजात के बाद शरायत पाए जाने पर माल व दौलत में ज़कात की अदाएगी फर्ज़ की गई है। इस्लाम ने ज़कात के अलावा भी मुख्तलिफ शकलों से मोहताज लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की तर्गीब दी है ताकि जिस मुआशरा में हम रह हैं उसमें एक दूसरे के रंज व गम में शरीक हो सकें। उन्हीं शकलों में एक शकल क़र्ज़ हसन भी है कि हम गरीबों और मोहताजों की मदद करें, यतीमों और बेवाओं की किफालत करें, मकरूजीन के क़र्ज़ की अदाएगी करें और आपस में एक दूसरे को ज़रूरत के वक़्त क़र्ज़ हसन भी दें ताकि अल्लाह तआला दुनिया में भी हमारे माल में इजाफा करे और आखिरत में भी इसका अजर व सवाब दे।

इस फानी दुनियावी ज़िन्दगी का असल मतलूब व मकसूद उखरवी ज़िन्दगी में कामयाबी हासिल करना है, जहां हमेशा हमेशा रहना है मौत को भी वहां मौत आ जाएगी और जहां की कामयाबी हमेशा की कामयाबी व कामरानी है। लिहाज़ा हम अल्लाह तआला के अहकामात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा पर बजा लाएें। सिर्फ हलाल रिज़्क़ पर इकतिफा करें खाह बज़ाहिर कम ही क्यों न हो। हत्तल इमकान मुशतबह चीजों से बचें। ज़कात के वाजिब होने की सूरत में ज़कात की अदाएगी करें। अपने और बाल बच्चों के अखराजात के साथ वक़्तन फवक़्तन क़र्ज़ हसन और मुख्तलिफ सदकात के ज़रिया मोहताज लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि कल क़यामत के दिन हमारे क़दम हमारे परवरदिगार के सामने से हट नहीं सकते जब तक कि हम माल के मुतअल्लिक़ सवाला का जवाब न दे दें कि कहां से कमाया और कहां खर्च किया।

लेखक का परिचय

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी का तअल्लुक़ सम्भल (यूपी) के इल्मी घराने से है, उनके दादा मशहूर मुहद्दिस, मुक़र्रिर और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद इसमाईल सम्भली (रह) थे जिन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में तक़रीबन 17 साल बुखारी शरीफ का दर्स दिया, जबकि उनके नाना मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन सम्भली (रह) थे जिन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में इफता की ज़िम्मेदारी निभाने के साथ साथ बुखारी व हदीस की दूसरी किताबें भी पढ़ाईं।

डाक्टर नजीब क़ासमी ने इब्तिदाई तालीम सम्भल में ही हासिलकी, चुनांचे मिडिल स्कूल पास करने के बाद अरबी तालीम का आगाज़ किया। इसी बीच 1986 में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल भी पास किया। 1989 में दारुल उलूम देवबन्द में दाखिला लिया। दारुल उलूम देवबन्द के क़याम के दौरान यूपी बोर्ड से इन्टरमीडिएट का इमतिहान पास किया। 1994 में दारुल उलूम देवबन्द से फरागत हासिल की। दारुल उलूम देवबन्द से फरागत के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली से B.A (Arabic) और तरजुमे के दो कोर्स किए, उसके बाद दिल्ली यूनिवार्सिटी से M.A. (Arabic) किया।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली के अरबी विभाग की जानिब से मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी को "अल जवानिबुल अदबिया वल बलागिया वल जमालिया फिल हदीसिन नबवी" यानी हदीस के अदबी व बलागी व जमाली पहलू पर दिसम्बर 2014 में डाक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने प्रोफेसर डाक्टर शफीक अहमद खां नदवी भूतपूर्व सदर अरबी विभाग और प्रोफेसर रफीउल इमाद फायनान की अंतर्गत में

अरबी ज़बान में 480 पृष्ठों पर मुशतमिल अपना तहक़ीक़ी मक़ाला पेश किया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने बहुत सी किताबें उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी जबानों में तहरीर की है। 1999 से रियाज़(सऊदी अरब) में बरसरे रोज़गार हैं। कई सालों से रियाज़ शहर में हज तरबियती कैम्प भी मुनअक़िद कर रहे हैं। उनके मज़ामीन उूर्द अख़बारों में प्रकाशित होते रहते हैं।

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी की वेब साइट (www.najeebqasmi.com) को काफी मक़बूलियत हासिल हुई है जिसकी मोबाइल ऐप (Deen-e-Islam) तीन जबानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है जिसमें मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत पर मज़ामीन के साथ उनकी किताबें और बयानात हैं।

हज व उमरह से मुतअल्लिक़ खुसूसी ऐप (Hajj-e-Mabroor) भी तीन ज़बानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है, जिन से सफर के दौरान हत्ताकि मक्का, मिना, मुज़दल्फा और अरफात में भी इस्तिफादा किया जा सकता है।

हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मशहूर उलमा, दीनी इदारों और मुख्तलिफ मदरसों ने दोनों Apps (दुन्या की पहली मोबाइल ऐपस) की ताईद में खुतूत तहरीर फरमा कर अवाम व खवास से दोनों Apps से फायदा उठाने की अपील की है।

http://www.najeebqasmi.com/
najeebqasmi@gmail.com
MNajeeb Qasmi - Facebook
Najeeb Qasmi - YouTube
Whatsapp: 00966508237446

First Islamic Mobile Apps on the world in 3 languages:
Deen-e-Islam & Hajj-e-Mabroor

AUTHOR'S BOOKS

IN URDU LANGUAGE:

حج مبرور، مختصرحج مبرور، حی علی الصلاۃ، عمرہ کا طریقہ، تحفۂ رمضان، معلومات قرآن، اصلاحی مضامین جلد ۱،
اصلاحی مضامین جلد ۲، قرآن وحدیث: شریعت کے دو اہم ماخذ، سیرت النبی ﷺ کے چند پہلو،
زکوۃ وصدقات کے مسائل، فیملی مسائل، حقوق انسان اور معاملات، تاریخ کی چند اہم شخصیات، علم وذکر

IN ENGLISH LANGUAGE:

Quran & Hadith - Main Sources of Islamic Ideology
Diverse Aspects of Seerat-un-Nabi
Come to Prayer, Come to Success
Ramadan - A Gift from the Creator
Guidance Regarding Zakat & Sadaqaat
A Concise Hajj Guide
Hajj & Umrah Guide
How to perform Umrah?
Family Affairs in the Light of Quran & Hadith
Rights of People & their Dealings
Important Persons & Places in the History
An Anthology of Reformative Essays
Knowledge and Remembrance

IN HINDI LANGUAGE:

क़ुरान और हदीस - इस्लामी आइडयोलॉजी के मैन सोर्स
सीरतुन नबी के मुख़्तलफि पहलू
नमाज़ के लिए आओ, सफलता के लिए आओ
रमज़ान - अल्लाह का एक उपहार
ज़कात और सदक़ात के बारे में गाइडेंस
हज और उमराह गाइड
मुख़्तसर हज्जे मबरूर
उमरह का तरीका
पारविारकि मामले क़ुरान और हदीस की रोशनी में
लोगों के अधकिार और उनके मामलात
महत्वपूर्ण वयक्ति और स्थान
सुधारात्मक निबंध का एक संकलन
इल्म और जिक्र

First Islamic Mobile Apps of the world in 3 languages
(Urdu, Eng.& Hindi) in iPhone & Android by Dr. Mohammad Najeeb Qasmi

DEEN-E-ISLAM HAJJ-E-MABROOR